

समाज कल्याण विभाग  
दिल्ली सरकार  
विधान सभा अतांरकित प्रश्न संख्या: 277  
प्रश्नकर्ता: श्री विजेन्द्र गर्ग  
दिनांक: 11.08.2017

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न पेंशन एवं सहायता-राशि के आवेदन-पत्र जमा होने के बाद, एक निश्चित अवधि में पेंशन जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और	सामान्यतः 45 दिन के अन्दर आवेदनों का निपटान कर दिया जाता है । चूंकि ऑनलाइन आवेदन जमा किये जाने की प्रक्रिया अभी नई शुरू की गई है एवं बहुत से आवेदन एक साथ प्राप्त होने के कारण अभी इसे व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लग रहा है । इस प्रक्रिया को गति देने के लिये विभाग ने जिला कार्यालयों में सत्यापनकर्ताओं की संख्या लगभग तिगुनी कर दी है तथा अतिरिक्त कम्प्यूटर तथा स्कैनर इत्यादि का भी प्रबन्ध तुरन्त प्रभाव से कर दिया गया है ।
(ख)	यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?	

पंकज कुमार

Sr. Director (Social Welfare)  
Social Welfare Department  
Govt. of NCT of Delhi  
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate  
New Delhi-110002